

इंडिया इंटरनेशनल हाउस

Company Name - India International House	Policy Name - Whistle Blower Policy
Original date. 05/11/2023 Rev No. 00	Document No. - TTHL/WBP/02

व्हिसल-ब्लोअर नीति

नीति:

इस नीति का उद्देश्य बोर्ड के सदस्यों, कर्मचारियों (भुगतान किए गए और स्वयंसेवक) और अन्य लोगों को प्रतिशोध के बिना अवैध, अनैतिक या अनुचित घटनाओं (व्यवहार या प्रथाओं) की संदिग्ध या वास्तविक घटना (ओं) की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

नीति न तो कर्मचारियों को उनके काम के दौरान गोपनीयता के कर्तव्य से मुक्त करती है, न ही यह व्यक्तिगत स्थिति के बारे में शिकायत लेने का एक मार्ग है।

दायरा:

यह नीति कंपनी **इंडिया इंटरनेशनल हाउस (India International House)** और उसके इच्छुक पार्टियों तक सीमित है।

मार्गदर्शक सिद्धांत:


1. व्हिसल-ब्लोअर को तत्काल संदिग्ध या वास्तविक घटना की सूचना अपने विभाग प्रमुख को देनी चाहिए।
2. यदि व्हिसल-ब्लोअर असहज या अन्यथा अपने विभाग प्रमुख को रिपोर्ट करने के लिए अनिच्छुक होगा, तब व्हिसल-ब्लोअर घटना को अगले उच्चतम या किसी अन्य स्तर पर रिपोर्ट कर सकता है। कंपनी के प्रबंधक को मोबाइल नंबर 9911319309 पर कॉल कर सकता है या फिर सुझाव बॉक्स में पर्ची डाल सकता है।
3. व्हिसल-ब्लोअर अपनी पहचान के साथ या गुमनाम रूप से घटना की रिपोर्ट कर सकता है।
4. *व्हिसल ब्लोअर को प्रदान की गई रिपोर्ट के लिए कोई प्रतिशोध प्राप्त नहीं होगा।*

5. एक व्हिसल-ब्लोअर जो सद्भाव में रिपोर्ट नहीं करता है उसके खिलाफ अनुशासन नीति के अधीन कार्रवाई होगी।
 6. जो कोई भी व्हिसलब्लोअर (जिसने नेकनीयती से किसी घटना की सूचना दी थी) के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ अनुशासन नीति के अधीन कार्रवाई होगी, जिसमें बोर्ड या कर्मचारी का दर्जा समाप्त करना शामिल है।
 7. व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ अपराध, जैसे हमला, बलात्कार, संधमारी, आदि, तुरंत स्थानीय कानून प्रवर्तन कर्मियों को सूचित किया जाना होना चाहिए।
 8. रिपोर्ट प्राप्त करने वाले पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों और/या बोर्ड के सदस्यों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और समस्या का समाधान करें।
 9. प्रारंभिक रिपोर्ट के पांच व्यावसायिक दिनों के भीतर व्हिसल-ब्लोअर को एक रिपोर्ट प्राप्त होगी, मामले की जांच, निपटान या समाधान के संबंध में।
 10. यदि किसी रिपोर्ट की जांच, जो सद्भावपूर्वक की गई थी और आंतरिक द्वारा जांच की गई थी अगर व्हिसल-ब्लोअर की संतुष्टि नहीं है, तो उसे उपयुक्त कानूनी या जांच एजेंसी को घटना की रिपोर्ट करने का अधिकार है।
 11. व्हिसल-ब्लोअर की पहचान, यदि ज्ञात हो, उन व्यक्तियों के लिए गोपनीय रहेगी इस नीति को लागू करने में सीधे तौर पर शामिल है, जब तक कि इस मुद्दे के लिए कानून द्वारा जांच की आवश्यकता न हो।
- प्रवर्तन, जिस स्थिति में संगठन के सदस्य सम्मन के अधीन होते हैं।

रिपोर्टों:

अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या पर एक अर्धवार्षिक स्थिति रिपोर्ट, सीटी समिति के निष्कर्षों का सारांश और की गई सुधारात्मक कार्रवाई कंपनी के सीएमडी को भेजी जाएगी।

प्रस्तुत कर्ता:
कर्ता Himanshu



अनुमोदित